मु०न० 18/2020 ओमप्रकाश बनाम लैण्ड होल्डर

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13-1-2021	~~पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानान्तरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25-1-2021 को पेश हो। रीडर	
25-1-2021	वकील प्रार्थी उप० । तहसीलदार गंगापुर सिटी से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। बहस सुनी गई। प्रा०पत्र 136 L.R. Act स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:34:10 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
18/2020	9.10.2020	25-1-2021

ओमप्रकाश पुत्र किशन, माली निवासी महुकलॉ तह0 गंगापुर सिटी —प्रार्थी

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी —अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित :—श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट प्रार्थी की ओर से

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी, अप्रार्थी

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि भूमि साबिक ख0न0 193 रकबा 4 बीघा 2 विस्वा वाके ग्राम महुकलॉ की खातेदारी भौरया पुत्र अरमचंद गुर्जर के नाम थी, जिसमें से भौरया पुत्र अमरचंद द्वारा अपना 1/3 हिस्सा प्रार्थी के पिता किशन पुत्र कोरया को जरिए रजिस्ट्री दिनांक 18.8.1981 को विक्रय कर दिया गया परन्तु उक्त भूमि विक्रय के समय सेटलमेन्ट की कार्यवाही विचाराधीन थी इसलिए सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी के पिता द्वारा खरीद की गयी भूमि व अन्य भूमि उक्त भूमि खसरा नम्बर के नये ख0न0 316 रकबा 0.35 है0, ख0न0 317 रकबा 0.02 है0, ख0न0 318 रकबा 0.53 है0, ख0न0 602 रकबा 0.24 है0 कायम कर दी तथा खातेदारी में प्रार्थी के बाबा का नाम भौरया अंकित कर दिया जबकि प्रार्थी के बाबा का सही नाम कोरया है तथा यही नाम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में अंकित है। प्रार्थी के बाबा का सही नाम कोरया है एवं अन्य समस्त राजस्व रिकार्ड पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में प्रार्थी के पिता का सही नाम किशन पुत्र कोरया अंकित है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के बाबा का नाम वर्तमान जमांबदी खाता संख्या 50 एवं 49 ग्राम महुकलॉ में अंकित खातेदार किशन पुत्र भोरया के स्थान पर किशन पुत्र कोरया दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 ग्राम महुकलॉ खाता संख्या 49, 50, नकल मिलान क्षेत्रफल, फोटोकॉपी विक्रय पत्र दिनांक 18.8.1981 भौरया बहक किशन, फोटोकॉपी मृत्यु प्रमाण पत्र किशनलाल, फोटोकोपी फ़ोटो पहचान पत्र किशन पुत्र कोरया प्रस्तुत की हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी से रिपोर्ट मंगवाई गई। अप्रार्थी बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:34:10 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि रजिस्टर्ड विक्रयपत्र क्रमांक 262 दिनांक 29.8.81 के अनुसार भौरया पुत्र अमरचंद गुर्जर निवासी महुकलॉ द्वारा क्रेता किशन पुत्र कोरया जाति माली महुकला को बेचान किया गया है। रजिस्ट्री का नामान्तकरण दर्ज करते समय सहवन से कोरया की जगह भोरया दर्ज हो गया है तभी से चौसाला जमाबंदियो में यही नाम चलता आ रहा है। जिसे शुद्ध करके कोरया किया जाना उचित होगा।

प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान वकील प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुसार बहस करते हुए कहा कि प्रार्थी के बाबा का सही नाम कोरया है लेकिन वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी के बाबा का नाम भोरया दर्ज हो रहा है। इसकी दुरूस्ती फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के बाबा का नाम किशन पुत्र कोरया है। तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व अभिलेख में किशन पुत्र भोरया के स्थान पर किशन पुत्र कोरया दुरूस्त किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार ग्राम महुकलॉ की जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 49, 50 दर्ज प्रविष्टि "किशन पुत्र भौरया" के स्थान पर प्रविष्टि "किशन पुत्र कौरया" दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इन खातों में दर्ज अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेंगी। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को लिखा जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25-1-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:34:10 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार चौधरी)
उपखंड/उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)